छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं/प्राचार्यों
हेतु
प्रवेश एवं परीक्षा संबंधी मार्गदर्शिका
शैक्षणिक सत्र 2025–26

वेबसाईट **www.cgbse.nic.in**

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

दूरभाष : 0771 – 2437309, 2422425, फैक्स : 0771 – 2429385

क्रमांक/ 735 /समन्वय/विद्यो./2025–26 रायपुर दिनांक : 10/ 06 /2025

प्रवेश संबंधी नियम एवं निर्देश

शैक्षणिक सत्र 2025–26 हेतु मण्डल की समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं के लिये प्रवेश संबंधी नियम एवं निर्देश निम्नानुसार हैं :–

कक्षा 09वीं से 12वीं तक प्रवेश दिनांक 16 जून 2025 से प्रारंभ होगा एवं प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 तक निर्धारित की गई है। इस तिथि तक समस्त औपचारिकताएं अनिवार्यतः पूर्ण कर ली जाय । कृपया इस बात से अवगत हो कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस बात पर आपत्ति दर्ज की गई है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना कर कुछ संस्थाओं द्वारा अपात्र छात्र/छात्राओं को प्रवेश दे दिया जाता है ।

अतः निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा जारी निर्देशों का पूर्णतः पालन करने के पश्चात् ही प्रवेश दिया जायें । प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकार की कठिनाईयां उत्पन्न होने पर अपने जिले से संबंधित संभागीय कार्यालय/मण्डल मुख्यालय स्थित परीक्षा कक्ष से समस्या संबंधी निराकरण हेतु सम्पर्क करें ।

मण्डल सचिव की अनुमति से दिनांक 16 अगस्त 2025 तक प्रवेश दिया जा सकेगा । इसके पश्चात् किसी प्रकार के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी । हाईस्कूल के परीक्षा परिणाम के पश्चात् जो छात्र उत्तीर्ण होंगे वे अगली कक्षा में नियमित प्रवेश हेतु पात्र होंगे । मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों के नाम उसी कक्षा में ही दर्ज किया जाय । द्वितीय मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण होने पर पात्रतानुसार कक्षा में प्रवेश स्थानांतरित किया जावेगा ।

उपरोक्त के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी द्वितीय मुख्य परीक्षा परिणाम की घोषणा दिनांक से 10 दिवस की समय–सीमा में प्रवेश दिया जा सकेगा । तिथि की सूचना समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं के पोर्टल एवं SMS के माध्यम से उपलब्ध करायी जावेगी ।

(1) स्थानांतरण प्रकरण :–

शासकीय सेवक (राज्य एवं केन्द्र) के स्थानांतरण की स्थिति में उनके बच्चो को हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी में प्रवेश दिया जा सकेगा, परन्तु इसकी अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2025 होगी। अन्य बोर्ड से प्रवेश लेने वाले छात्रों को ग्राह्यता की कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य होगा तथा पूर्व विद्यालय से उपस्थिति की गणना प्राप्त कर प्राचार्य के प्रमाणीकरण पश्चात् प्रस्तुत करना होगा।

(2) अतिरिक्त प्रवेश :–

कक्षा 9वीं एवं 11वीं में विद्यालय की अधोसंरचना एवं स्टाफ की उपलब्धता के आधार पर संख्या निर्धारित करते हुये नवीन प्रवेश दिया जा सकता है, परन्तु कक्षा 10वीं एवं 12वीं में प्रवेश हेतु निम्न सावधानी रखें :–

(I) कक्षा 10वीं एवं 12वीं में स्थानांतरण प्रकरणों को छोड़कर शेष प्रकरणों में 10 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रवेश दिए जाने का प्रावधान है। उदाहरणार्थ– किसी संस्था में कक्षा 9वीं में उत्तीर्ण 30 छात्र, कक्षा 10वीं में अनुत्तीर्ण 15 छात्र तथा श्रेणी सुधार के 5 छात्र हैं। इस प्रकार कुल 50 छात्रों का 10 प्रतिशत 05 होता है अर्थात अधिकतम 05 छात्रों को ही प्राचार्य द्वारा बिना मण्डल की अनुमति के अतिरिक्त प्रवेश दिया जा सकता है। ऐसी संस्थायें जहाँ कक्षा 10वीं एवं 12वीं में छात्र संख्या 45 से कम हैं तो ऐसी परिस्थिति में कक्षा 10वीं एवं 12वीं में 45 छात्र संख्या तक प्रवेश हेतु उपरोक्त नियम 10% वृद्धि में शिथिलता रहेगी ।

(II) यदि संस्था के प्राचार्य 10 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त प्रवेश देना चाहते हैं तो आवश्यकतानुसार भवन विस्तार, शिक्षक, स्टाफ, फर्नीचर आदि की पर्याप्त व्यवस्था कर के स्कूल भवन का नक्शा एवं फोटो संबंधित अनुविभागीय अधिकारी से अभिप्रमाणित कराकर निर्धारित प्रपत्र में मण्डल कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत करें तथा मण्डल कार्यालय द्वारा अनुमति दिये जाने पर ही अतिरिक्त प्रवेश दिया जा सकेगा । यदि असाधारण रूप से अधिक प्रवेश की अनुमति मांगी जाती है तो यह मण्डल द्वारा जाँच के उपरांत निर्णय लिया जायेगा ।

उपरोक्त नियम का कड़ाई से पालन किया जाय। नियम विरूद्ध प्रवेश दिये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

(III) प्रवेश नीति के विपरीत अथवा अपात्र छात्रों को प्रवेश देने पर छात्रों का प्रवेश निरस्त किया जावेगा तथा अशासकीय संस्थाओं की मान्यता समाप्ति हेतु प्रस्तावित किया जावेगा एवं शासकीय संस्थाओं के प्राचार्यो के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्तावित किया जावेगा। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संस्था/संस्था प्रमुख का होगा ।

टीपः– **प्रवेश संबंधी समस्त प्रक्रिया संबंधित संस्था द्वारा किया जावें। किसी भी स्थिति में छात्र/पालक को प्रवेश की अनुमति हेतु मण्डल कार्यालय न भेजे ।**

(3) क्रेडिट योजना (अवसर परीक्षा) के छात्रों हेतु प्रवेश प्रावधान :–

जो परीक्षार्थी द्वितीय मुख्य परीक्षा के पश्चात कुछ विषयों में अनुत्तीर्ण रह जाते है तो उन्हे आगामी वर्ष की मुख्य एवं द्वितीय मुख्य परीक्षा में वर्तमान नियमो के अनुसार तृतीय एवं चतुर्थ अवसर का लाभ प्राप्त होगा।

क्रेडिट योजना के अंतर्गत उत्तीर्ण होने पर अगली कक्षा में नियमानुसार नियमित प्रवेश ले सकेगा तथा प्रथम बार अनुत्तीर्ण होने पर उसी कक्षा में नियमानुसार नियमित प्रवेश ले सकेगा ।

(4) अन्य राज्यों के बोर्ड/अन्य बोर्ड के छात्रों हेतु प्रवेश प्रावधान :-

अन्य राज्यों के बोर्ड/अन्य बोर्ड जिन्हें मण्डल विनियम के अनुसार हाईस्कूल हेतु समकक्षता प्रदान की गयी है, उन बोर्ड के हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी परीक्षा में प्रथम बार अनुत्तीर्ण छात्रों को मण्डल की हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी कक्षा में प्रवेश की पात्रता होगी, लेकिन उन्हें ग्राह्यता संबंधी समस्त प्रक्रिया की ऑनलाईन कार्यवाही अनिवार्यतः पूर्ण करनी होगी । ऑनलाईन कार्यवाही उपरान्त ग्राह्यता आवेदन पत्र के साथ मूल दस्तावेज एवं प्रमाणित छायाप्रति अपने जिले से संबंधित संभागीय कार्यालय एवं रायपुर संभाग से संबंधित मण्डल मुख्यालय स्थित परीक्षा कक्ष में जमा करना अनिवार्य होगा ।

ग्राह्यता प्रक्रिया :-

- छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल से समकक्षता प्राप्त केन्द्रीय बोर्ड या अन्य राज्यों के बोर्डो के विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु नियमानुसार ग्राह्यता की कार्यवाही पूर्ण करना आवश्यक है। ऐसे सभी छात्रों से घोषणा पत्र प्राप्त कर अस्थायी प्रवेश की कार्यवाही करें एवं ग्राह्यता संबंधी समस्त प्रक्रिया, शुल्क भुगतान निर्धारित समय-सीमा में अनिवार्यतः पूर्ण करें। किसी भी स्थिति में छात्र या पालक को ग्राह्यता हेतु मण्डल में न भेजें ।
- ग्राह्यता हेतु छात्र से मूल टी0 सी0, मूल माईग्रेशन सर्टिफिकेट एवं मूल अंकसूची के साथ-साथ प्रत्येक की अभिप्रमाणित प्रति की छायाप्रति भी प्राप्त की जाये।

समस्त प्रक्रियाओं हेतु तिथिवार विवरण निम्नानुसार है :-

नियमित परीक्षार्थियों के लिये निर्धारित तिथि

क्र.	प्रक्रिया का नाम	अंतिम तिथि
(1)	संस्थाओं की जानकारी/शिक्षक जानकारी/संस्थाओं से नियमित छात्रों की प्रवेश सूची/परीक्षा आवेदन फार्म/नामांकन फार्म/ग्राह्यता प्रकरणों की ऑनलाईन प्रविष्टी/ऑनलाईन प्रायोगिक/सैद्धांतिक परीक्षा हेतु शिक्षकों की नामावली सूची Online प्रविष्टी की तिथि	16.06.2025 से 01.09.2025 तक
(2)	ग्राह्यता संबंधी Online प्रक्रिया तथा शुल्क जमा करने की तिथि	16.06.2025 से 01.09.2025 तक
(3)	संस्था में प्रवेशित छात्रों की Online पोर्टल में प्रविष्टी की अंतिम तिथि (आपकी संस्था में उपलब्ध अभिलेख के अनुसार प्रविष्टि करें)	16.06.2025 से 01.09.2025 तक
(4)	संबंधित संस्थाओं से ग्राह्यता प्रकरण अपने जिले के संभागीय कार्यालय एवं रायपुर संभाग के मुख्यालय परीक्षा कक्ष में जमा करने की अंतिम तिथि	16.06.2025 से 10.09.2025 तक

(5)	निर्धारित तिथि के पश्चात् ग्राह्यता संबंधी प्रपत्र/मूल दस्तावेज जमा करने पर विशेष विलंब शुल्क प्रति परीक्षा 1,540/– रूपये की दर से पृथक से देय होगा । विलंब शुल्क, बैंक चालान, डेबिट कार्ड स्वाईप के माध्यम से देय होगा ।	11.09.2025 से 20.09.2025 तक
(6)	संभागीय कार्यालय/मण्डल मुख्यालय, रायपुर स्थित परीक्षा कक्ष द्वारा ग्राह्यता संबंधी प्रकरणों के निराकरण पश्चात् ग्राह्यता/नामांकन जारी करने की तिथि	25.09.2025
(7)	प्रवेशित छात्रों के परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क एवं परीक्षा शुल्क ऑनलाईन जमा करने की अंतिम तिथि	30.09.2025
(8)	परीक्षा आवेदन पत्र एवं चेकलिस्ट जिले से संबंधित संभागीय कार्यालय/मण्डल मुख्यालय, रायपुर स्थित परीक्षा कक्ष में जमा करने की अंतिम तिथि	तिथियां पृथक से जारी किया जावेगा ।

टीपः– मण्डल द्वारा जिन परीक्षार्थियों की ग्राह्यता/नामांकन जारी की जा चुकी है उनके परीक्षा शुल्क का ऑनलाईन भुगतान 30.09.2025 तक अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करें।

स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिये निर्धारित तिथि		
(1)	पोर्टल प्रारंभ होने की तिथि सामान्य शुल्क के साथ	01.10.2025 से 31.10.2025 तक
(2)	परीक्षा शुल्क + विलंब शुल्क 770/— रूपये प्रति छात्र के साथ	01.11.2025 से 16.11.2025 तक
(3)	परीक्षा शुल्क + विशेष विलम्ब शुल्क 1,540/—रूपये प्रति छात्र के साथ	17.11.2025 से 30.11.2025 तक
(4)	संस्था द्वारा स्वाध्यायी छात्रों के परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क एवं परीक्षा शुल्क ऑनलाईन जमा करने की तिथि	01.10.2025 से 05.12.2025 तक
(5)	परीक्षा आवेदन पत्र मण्डल कार्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि	15.12.2025 तक

टीपः— कार्यपालिका समिति की बैठक दिनॉक 26.03.2025 के विषय क्रमांक 11 मे लिये गये निर्णय अनुसार मण्डल की समस्त परीक्षाओ के परीक्षा संबंधी ऑनलाईन कार्य नियमित/स्वाध्यायी छात्रो की प्रविष्टी, शुल्क भुगतान, ग्राह्यता प्रविष्टी आदि ऑनलाईन पोर्टल पुनः प्रारम्भ करने हेतु प्रति दिवस रूपये 1000/— की दर से विलम्ब शुल्क की ऑनलाईन भुगतान के पश्चात पोर्टल हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात 01 माह तक खोलने का निर्णय लिया गया है। इसके लिये संस्थाओ को अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नही है, निर्धारित अंतिम तिथि से 01 माह पश्चात किसी स्थिति में पोर्टल ओपन नही किया जावेगा।

(मण्डल आदेश क्रमांक/331/डाटा/2025 रायपुर, दिनॉक 07.05.2025)

(5) अधिकतम आयु सीमा :—

मण्डल के स्वाध्यायी/क्रेडिट योजना से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को कक्षा 11वीं में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी, किन्तु इसकी अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष होगी ।

प्रवेश की अन्य शर्तें
कक्षा 9वीं तथा 11वीं हेतु

कक्षा 9वीं :–

कक्षा 9वीं में पंजीयन प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन होगी। कक्षा 8वीं उत्तीर्ण छात्रो को पात्रतानुसार निर्धारित तिथि तक कक्षा 9वीं में नियमित प्रवेश दिया जावेगा। छात्रों को बीच सत्र में प्रवेश की पात्रता नियमानुसार होगी ।

नामांकन :–

मण्डल विनियम क्रमाँकः 128 के तहत समस्त नवीन प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों का मण्डल में नामांकन कराया जाना अनिवार्य है, इसके अभाव में वे मण्डल की किसी भी परीक्षा में बैठने के लिये अपात्र होंगे ।

सत्र 2025–26 हेतु मण्डल की समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कक्षा 9वीं में प्रविष्ट छात्रों का नामांकन किया जाना आवश्यक है । ऐसे सभी छात्र जिन्होंने सत्र 2025–26 में कक्षा 9वीं में प्रवेश लिया है, उनकी प्रवेश प्रक्रिया हेतु संस्था द्वारा मण्डल की वेबसाइट **www.vidia.cgbse.nic.in** में ऑनलाईन नामांकन फार्म भरना आवश्यक होगा। नामांकन प्रक्रिया दिनांक 01 सितम्बर 2025 तक पूर्ण करें ।

मण्डल में एक बार नामांकन होने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में छात्र से दोबारा नामांकन शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

शैक्षणिक सत्र 2025–26 में केवल वर्ष 2023–24 एवं सत्र 2024–25 के 8वीं उत्तीर्ण तथा वर्ष 2024–25 के कक्षा 9वीं में प्रथम बार अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को ही कक्षा 9वीं में प्रवेश की पात्रता होगी ।

कक्षा 11वीं :–

शैक्षणिक सत्र 2025–26 में केवल सत्र 2023–24 एवं सत्र 2024–25 के इस बोर्ड अथवा मण्डल की समकक्षता/मान्यता प्राप्त अन्य बोर्ड से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण (कक्षा 10वीं) तथा सत्र 2024–25 के कक्षा 11वीं में प्रथम बार अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को ही कक्षा 11वीं में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी । कक्षा 11वीं में निर्धारित तिथि तक प्रवेश दिया जा सकेगा ।

प्रवेश की अन्य शर्तें
कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं हेतु

कक्षा 10वीं एवं 12वीं में नियमित रूप से निम्नलिखित परीक्षार्थी को प्रवेश दिया जा सकेगा :—

(I) ऐसे परीक्षार्थी जिन्होने कक्षा 9वीं एवं 11वीं की परीक्षा वर्ष 2024 एवं वर्ष 2025 में उत्तीर्ण की है वे अगली कक्षा में प्रवेश हेतु पात्र होगें ।

(II) कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं की परीक्षा वर्ष 2025 में नियमित रूप से सम्मिलित हुये ऐसे परीक्षार्थी जो प्रथम बार उक्त परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे हों उन्हें उसी कक्षा में पुनः प्रवेश दिया जा सकेगा ।

(III) सत्र 2023—24 की कक्षा 8वीं, कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं एवं कक्षा 11वीं की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए ऐसे परीक्षार्थी जो किसी कारणवश शैक्षणिक सत्र 2024—25 में हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके हों अर्थात उनका एक वर्ष का अन्तराल **(GAP)** आया हो, ऐसे परीक्षार्थी एक वर्ष अंतराल **(GAP)** का शपथ—पत्र प्रस्तुत कर सत्र 2025—26 में अगली कक्षा में प्रवेश के लिए पात्र होगें ।

(IV) मण्डल की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा वर्ष 2024 या 2025 में सम्मिलित ऐसे परीक्षार्थी जो उत्तीर्ण तो हो गये हैं, किन्तु श्रेणी सुधार की परीक्षा देना चाहते हैं, तो ऐसे छात्रों को नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा, किन्तु जो छात्र वर्ष 2023 या इसके पूर्व के वर्षो में 10वीं या 12वीं परीक्षा में उत्तीर्ण हुए है वे श्रेणी सुधार परीक्षा हेतु पात्र नहीं होंगे । इस योजना में केवल एक अवसर ही मिलेगा। श्रेणी सुधार में विषय/संकाय परिवर्तन मान्य नहीं है तथा वर्ष 2024 के परीक्षार्थियों को एक वर्ष अंतराल **(GAP)** का शपथ—पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

(V) जो परीक्षार्थी द्वितीय मुख्य परीक्षा में विषय/विषयों में अंक सुधार के लिये सम्मिलित होते है और अंक सुधार कर लेते है या अंको में सुधार नही होता है तो ऐसे परीक्षार्थी पात्रता के आधार पर नियमानुसार श्रेणी सुधार के लिये पात्र होगें।

(VI) अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण यदि कोई छात्र आपकी संस्था में कक्षा 12वीं में प्रवेश लेता है तो छात्र की 10वीं बोर्ड की अंकसूची का सत्यापन संबंधित बोर्ड से कराया जाना आवश्यक है। किसी भी परिस्थिति में गलत पाये जाने पर सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित संस्था के प्राचार्य की होगी ।

नोटः— (क) दो वर्ष या उससे अधिक एक ही कक्षा में लगातार अनुत्तीर्ण होने पर अथवा एक वर्ष से अधिक का अंतराल **(GAP)** होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी, ऐसे छात्र केवल स्वाध्यायी परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगें ।

(ख) एक ही कक्षा में 01 वर्ष का अनुत्तीर्ण एवं 01 वर्ष में अंतराल **(GAP)** होने पर विद्यार्थी को नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी, ऐसे छात्र केवल स्वाध्यायी परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगें ।

हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी में पात्रता के अभाव में निरस्त/संस्था में उपस्थिति (75%) से कम होने पर परीक्षा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा । ऐसे छात्र/छात्रा अन्तर की राशि एवं घोषणा पत्र जमा करने पर स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो सकते है ।

विषय/संकाय परिवर्तन :–

किसी भी संकाय से कक्षा 11वीं उत्तीर्ण तथा कक्षा 12वीं प्रथम बार अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को कक्षा 12वीं में प्रवेश हेतु विषय परिवर्तन/संकाय परिवर्तन की पात्रता निम्नानुसार होगी :–

I. विज्ञान संकाय का छात्र विषय परिवर्तन (जीवविज्ञान अथवा गणित)/किसी भी संकाय में संकाय परिवर्तन कर सकता है।

II. वाणिज्य संकाय का छात्र वाणिज्य संकाय में ही विषय परिवर्तन कर सकता है अथवा विज्ञान संकाय को छोड़कर किसी भी संकाय में संकाय परिवर्तन कर सकता है।

III. कला संकाय का छात्र कला संकाय में ही विषय परिवर्तन कर सकता है, इसके अतिरिक्त कृषि संकाय, गृहविज्ञान संकाय में संकाय परिवर्तन कर सकता है।

IV. कृषि संकाय का छात्र कला संकाय, गृहविज्ञान संकाय में संकाय परिवर्तन कर सकता है।

V. गृहविज्ञान संकाय का छात्र कला संकाय, कृषि संकाय में संकाय परिवर्तन कर सकता है।

टीप :–(I) विषय परिवर्तन/संकाय परिवर्तन/माध्यम परिवर्तन हेतु नियमानुसार निर्धारित शुल्क देय होगा । (मण्डल आदेश क्रमांक/2789/प.स./2021 रायपुर, दिनॉक 28.12.2021)

(II) श्रेणी सुधार के विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार से विषय/संकाय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी ।

(iii) वैकल्पिक विषय का चयन कक्षा 11वीं में किया जाना अनिवार्य है।

मण्डल के द्वारा निम्नानुसार महत्वपूर्ण आदेश जारी किये गये हैं, जो मण्डल की वेबसाईट **www.cgbse.nic.in** पर उपलब्ध है। अतः प्रवेश प्रक्रिया के पूर्व निम्नलिखित आदेशों का भली–भांति अवलोकन कर परिपालन सुनिश्चित करें ।

1. हायर सेकण्डरी एवं आई. टी. आई. की संयुक्त अध्यापन योजना में अध्ययन हेतु विद्यार्थियों का प्रवेश :– सभी संकाय के विद्यार्थियों को उक्त योजना में अध्ययन की पात्रता प्रदान की गई। हायर सेकण्डरी एवं आई0 टी0 आई0 की संयुक्त अध्यापन योजना में अध्ययन हेतु प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को आई0 टी0 आई एवं छ0 ग0 मा0 शि0 मण्डल दोनों में पंजीयन करना अनिवार्य है ।

   (आदेश क्रमांक / 105 / विद्यो. / 2023 रायपुर, दिनॉक 25.07.2023)

2. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर की कार्यपालिका एवं वित्त समिति की बैठक दिनांक 22.11.2022 में लिये गये निर्णयानुसार हायर सेकण्डरी परीक्षा में नवीन व्यावसायिक विषय के अंतर्गत दो भाषा में से एक भाषा की छूट प्रदान की गयी है अर्थात् विद्यार्थी दो भाषा में से एक भाषा के स्थान पर किसी एक नवीन व्यावसायिक विषय का चयन कर सकता है तथा दो भाषा में से छोड़ी गयी एक भाषा को अतिरिक्त विषय के रूप में लेकर परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है । अतिरिक्त विषय के अंक परीक्षा परिणाम में नहीं जोड़े जायेंगे ।

   इस संबंध में मण्डल द्वारा जारी आदेश क्रमांक 6010 / विद्यो0 / रायपुर दिनांक 15.12.2022 का अवलोकन करें ।

3. दिव्यांग विद्यार्थियों के हेतु मण्डल की वेबसाईट www.cgbse.nic.in पर अपलोड किये गये आदेश क्रमांक 4061 / दिव्यांग परी. सुवि / दिनांक 08.07.2022 का अवलोकन करें ।

परीक्षा संबंधी निर्देश

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर के समस्त मान्यता प्राप्त शासकीय/अशासकीय संस्थाओं हेतु परीक्षा संबंधी नियम निर्देश निम्नानुसार है :–

1. वर्ष 2026 के हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी परीक्षाओं हेतु प्रवेश संबंधी समस्त आवश्यक प्रविष्टियाँ निर्धारित तिथि एवं समय–सीमा में पूर्ण की जावें ।
2. मण्डल द्वारा लिये जाने वाले समस्त शुल्कों का भुगतान Netbanking/RTGS/UPI/E-Challan/Debit Card के माध्यम से आनलाईन किया जाना होगा ।
3. छात्र/छात्राओं की संस्था में उपस्थिति – हाईस्कूल (**IX** एवं **X**), हायर सेकण्डरी (**XI** एवं **XII**) की मुख्य (वार्षिक) परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु नियमित छात्र की सामान्यतः 75% न्यूनतम उपस्थिति अनिवार्य है। विशेष परिस्थिति में मण्डल द्वारा उपस्थिति में 10% की छूट दी जा सकेगी । उपस्थिति में छूट हेतु प्राचार्य अनुशंसा सहित आवेदन पत्र मण्डल कार्यालय को दिनांक 31.12.2025 तक अवश्य प्रेषित करें ।

   हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी में पात्रता के अभाव में निरस्त/संस्था में उपस्थिति (75%) से कम होने पर परीक्षा आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा । ऐसे परीक्षार्थी अन्तर की राशि एवं घोषणा पत्र जमा करने पर स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं ।
4. अध्ययन – अध्यापन – कक्षा 9वीं से 12वीं तक के मण्डल वेबसाईट पर अपलोड पाठ्यक्रम/अध्यापन/परीक्षा योजना अनुरूप अध्यापन सुनिश्चित किया जावे। विषयों का चुनाव निर्धारित पाठ्यक्रम अनुरूप किया जाये। प्रत्येक कक्षा एवं विषय के निर्धारित पाठ्यक्रम अनुरूप समय–सीमा में अध्यापन की वैधानिक एवं नैतिक जिम्मेदारी संस्था प्रमुख की होगी ।
5. विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों के आकलन एवं पाठ्यक्रम को समय–सीमा में पूर्ण करें। मण्डल की मान्यता प्राप्त विद्यालयों की वैधानिक बाध्यता है कि वे मण्डल के पाठ्यक्रम, अध्यापन योजना/परीक्षा योजना का अनुकूलन करें। विद्यालयों में प्रायोगिक/ प्रायोजना कार्य का निश्चित कालखण्ड/नियमित संचालन सुनिश्चित करें। मण्डल द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान अनियमिताएँ पाये जाने पर ऐसी संस्थाओं पर मान्यता विनियम के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।
6. विद्यालयीन परीक्षाएँ – छात्रों के शैक्षणिक गुणवत्ता के आकलन एवं समय–सीमा में पाठ्यक्रम की पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु ली जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं (**IX** सें **XII**)/स्थानीय परीक्षाओं (**IX** एवं **XI**) /प्री–बोर्ड परीक्षाओं (**X** एवं **XII**) में मण्डल की परीक्षा योजना, ब्लूप्रिंट अनुसार ही प्रश्नपत्र को सेंटिग की जावें ताकि विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने में सुविधा हो। यहाँ उल्लेखनीय है कि मण्डल द्वारा प्री–बोर्ड परीक्षाओं हेतु किसी प्रकार का व्यय देय नहीं होगा ।
7. अकादमिक स्टॉफ संबंधी जानकारी की प्रविष्टि – प्रत्येक संस्था के प्राचार्य सहित समस्त अकादमिक स्टाफ की आनलाईन प्रविष्टि **Teacher's Information Entry** अनिवार्यतः निर्धारित तिथि तक अवश्य पूर्ण की जावे एवं समय–समय पर अद्यतन (अपडेट) की जावें । उक्त जानकारी समय में उपलब्ध न कराने पर विद्यालय की प्रवेश सूची परीक्षा/परीक्षा

आवेदन अस्वीकार किये जा सकते है। संस्था/प्राचार्य तथा शैक्षणिक स्टाफ के आनलाईन भुगतान, हस्तांतरण हेतु शैक्षणिक स्टॉफ की बैंक खाता संबंधी समस्त जानकारी अनिवार्यतः अंकित करें।

8. बोर्ड मूल्यांकन कार्य दिवस के पूर्व स्थानीय परीक्षाओं के सम्पादन संबंधी कार्य हेतु कार्ययोजना सत्रारंभ से तैयार कर ली जावें एवं तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

9. प्रायोगिक/प्रायोजना/पर्यावरण :– छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान हेतु पाठ्यक्रम के अनुरूप निर्धारित प्रायोगिक/प्रायोजना/पर्यावरण निर्धारित तिथि में अनिवार्यतः पूर्ण करें । कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं प्रायोगिक/प्रायोजना/पर्यावरण परीक्षाएँ माह – जनवरी के अंत तक (संभावित तिथि 10.01.2026 से 31.01.2026) अनिवार्यतः समाप्त कर ली जावे एवं अंकों की प्रविष्टी की निर्धारित अन्तिम तिथि 10.02.2026 तक अनिवार्य रूप से पोर्टल में करें । प्राचार्य स्वयं प्रायोगिक/प्रायोजना/पर्यावरण कक्षाओं की सतत् मॉनीटरिंग करें ।

पोर्टल लॉक करने के पूर्व अंको का मिलान अनिवार्य रूप से किया जावें। ततपश्चात पोर्टल लॉक करें। पोर्टल लॉक करने के पश्चात संशोधन संभव नही होगा । परीक्षाफल घोषणा उपरांत किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नही किया जावेगा।

10. पर्यावरण विषय का अध्ययन–अध्यापन – पर्यावरण विषय का अध्ययन/अध्यापन मण्डल द्वारा समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं में करवाया जाना अनिवार्य है। पूर्व वर्षानुसार पर्यावरण विषय के पाठ्यक्रम एवं परीक्षाएँ संबंधी निर्देश यथावत् रहेगें ।

11. निर्धारित तिथि समाप्त हो जाने के पश्चात् यदि कोई संस्था द्वारा प्रायोगिक/प्रायोजना/पर्यावरण के अंकों की प्रविष्टी नहीं की जाती है तो मण्डल आदेश क्रमांक/331/डाटा/2025 रायपुर, दिनॉक 07.05.2025 अनुसार दिनांक 11.02.2026 से 10.03.2026 तक प्रति दिवस 1,000/– रूपये की दर से विलंब शुल्क के साथ पोर्टल खोला जावेगा। समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाएँ भलीभांति अंकित कर लेवें। दिनॉक 10.03.2026 के पश्चात किसी भी परिस्थिति में अंको की प्रविष्टी हेतु पोर्टल ओपन नही किया जावेगा।

12. परीक्षा शुल्क एवं प्रायोगिक शुल्क में छूट – मण्डल की हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले निम्नलिखित छात्र/छात्राओं को केवल परीक्षा शुल्क एवं प्रायोगिक शुल्क में छूट दी गई है :–

(I) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के समस्त विद्यार्थी ।

(II) अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी में भाग लेने वाले छात्र/छात्राएँ ।

(III) राष्ट्रपति एवं राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त स्काऊट गाईड ।

(IV) बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त छात्र/छात्राएँ ।

(V) नक्सली हिंसा पीड़ित परिवार के छात्र/छात्राओं को ।

(VI) केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक, रजत पदक एवं कांस्य पदक प्राप्त छात्र/छात्राएँ।

(VII) एन0सी0सी0 कैडेट, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक एवं जूनियर रेडक्रास के सदस्य जो नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुये हैं।

(VIII) ट्रांसजेण्डर विद्यार्थियों हेतु प्रावधान – छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा आयोजित होने वाले हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी स्कूल की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले राज्य के ट्रांसजेंडर्स परीक्षार्थियों (नियमित/स्वाध्यायी) को शिक्षा सत्र 2022–23 से आयोजित होने वाले हाई/हायर सेकण्डरी स्कूल परीक्षा में आवेदन शुल्क को छोड़कर शेष संपूर्ण परीक्षा

शुल्क में छूट प्रदान की गयी है। (आदेश क्र0 4067/ट्रांसजेण्डर्स/प0शु0छू0/2022–23 रायपुर दिनांक 11.07.2022 मण्डल की **website :- www.cgbse.nic.in** पर अपलोड है) ।

(IX) दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु प्रावधान – 40% से अधिक दिव्यांगता वाले कक्षा 10वीं एवं 12वीं नियमित एवं स्वाध्यायी विद्यार्थियों को परीक्षा आवेदन शुल्क को छोड़कर शेष सम्पूर्ण शुल्क में छूट प्रदान की गयी है। (आदेश 4061/दि0परी0सु0/विद्यो0 दिनांक 08.07.2022 तथा 01 दि0सुवि0/22–23 रायपुर दिनांक 28.02.2023 मण्डल की **website :- www.cgbse.nic.in** पर अपलोड है) ।

13. बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छात्रों से आवश्यक अभिलेखों की छायाप्रतियां, फोटोग्राफ, प्रवेश के समय माह जुलाई में ही प्राप्त कर ली जावें । मण्डल को प्रेषण के पूर्व समस्त अभिलेख प्राचार्य द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है।

14. नियमित परीक्षार्थियों हेतु एक शैक्षणिक सत्र में दो मुख्य परीक्षा का प्रावधान – छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा हाईस्कूल (कक्षा 10वीं) तथा हायर सेकण्डरी (12वीं) की वार्षिक परीक्षा एक शैक्षणिक सत्र में दो बार प्रथम मुख्य परीक्षा एवं द्वितीय मुख्य परीक्षा आयोजित की जायेगी। प्रथम मुख्य परीक्षा संभवतः फरवरी–मार्च माह में तथा द्वितीय मुख्य परीक्षा संभवतः जून–जुलाई में आयोजित की जायेगी। तत्संबंध विस्तृत जानकारी मण्डल की **website :- www.cgbse.nic.in** पर अपलोड की जायेगी।

15. स्वाध्यायी रूप से सम्मिलित परीक्षार्थियों को अवसर – स्वाध्यायी रूप से सम्मिलित होने वाले छात्रों के लिये हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिये दो वर्ष में चार अवसर दिया जाना है । शेष नियम/निर्देश स्वाध्यायी छात्रों के लिये पृथक से अग्रेषणकर्त्ता संस्थाओं को प्रेषित किये जायेंगे ।

नियमित अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों हेतु अवसर परीक्षा का लाभ – हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी प्रथम एवं द्वितीय मुख्य परीक्षा के अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को स्वाध्यायी छात्र के रूप में समस्त अनुत्तीर्ण विषयों में अवसर परीक्षा के अन्तर्गत मण्डल की आगामी परीक्षाओं में यथा आगामी सत्र 2027 की मुख्य परीक्षा एवं द्वितीय मुख्य परीक्षा में अवसर प्रदान किये जायेंगे ।

अवसर परीक्षा के अन्तर्गत उत्तीर्ण विषयों के अंको को आगामी अवसर परीक्षा की अंकसूची में सम्मिलित किया जायेगा अर्थात् विद्यार्थी को केवल अनुत्तीर्ण विषय से ही आगामी अवसर परीक्षा में सम्मिलित होना होगा ।

16. वर्ष 2025 में अनुत्तीर्ण छात्र/छात्रा द्वितीय मुख्य परीक्षा (वर्ष 2025) की परीक्षा में सम्मिलित नहीं होते है तो ऐसे छात्र/छात्रा नियमानुसार वर्ष 2026 की मुख्य परीक्षा/द्वितीय मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता रखते हैं ।

17. नवीन मान्यता प्राप्त संस्थाओं के छात्रों को हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी परीक्षा में बैठने की पात्रता – मण्डल द्वारा जिन संस्थाओं को वर्ष 2026 की हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षाओं की मान्यता दी जायेगी, वे सभी संस्थायें तत्काल अपनी संस्था में प्रवेशित छात्रों का मण्डल में नामांकन की प्रक्रिया समय–सीमा मे पूर्ण करेगी । नामांकन पश्चात् ही संबंधित छात्र मण्डल की परीक्षाओं में सम्मिलित होने की पात्रता रखेगे ।

जिन संस्थाओं ने वर्ष 2026 हेतु मण्डल में मान्यता का आवेदन प्रस्तुत किया है, किन्तु उन्हें मान्यता नहीं दी गयी है तो इन संस्थाओं के छात्रों को **T.C.** जारी कर निर्धारित तिथि तक मण्डल की मान्यता प्राप्त अन्य संस्थाओं में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा तथा नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, परन्तु मान्यता अमान्य संस्थाओं के छात्रों का नामांकन तभी किया जा जावेगा जब वे उस संस्था के गत वर्ष की कक्षा 9वीं/11वीं परीक्षा में प्रवेशित हो और प्रवेश

सूची संबंधित संभागीय कार्यालय/रायपुर संभाग/मण्डल मुख्यालय में शुल्क सहित जमा की गयी हो ।

18. परीक्षा केन्द्र – वर्ष 2026 के नवीन परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु अथवा केन्द्र परिवर्तन हेतु समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुये जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा उपरान्त आवेदन मण्डल कार्यालय में दिनांक 30.10.2025 तक जमा करें ।

नियमित छात्रों के परीक्षा केन्द्र मण्डल द्वारा निर्धारित सिद्धांतो के अनुरूप एवं संवेदनशील क्षेत्रों की संस्थाओं के परीक्षा केन्द्र जिला व तहसील मुख्यालय में रखे जा सकते हैं ।

19. अंकसूचियों का प्रेषण – मण्डल की समस्त अंकसूचियाँ मण्डल द्वारा संबंधित जिले की समन्वय संस्था के माध्यम से संस्था के प्राचार्यो को वितरित की जाती है।

20. मण्डल की **website :- www.cgbse.nic.in** पर उपलब्ध अंकसूची सुधार, डुप्लीकेट अंकसूची, डुप्लीकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अंकसूची सत्यापन, ट्रांसलेशन सर्टिफिकेट तथा प्राप्त अंकसूची **Update** करने हेतु **Online Portal https://vidia.cgbse.nic.in/fms** के माध्यम से आवेदन कर सकते है।

परीक्षा वर्ष 2000 से अंकसूचियों का सत्यापन मण्डल की **website :- www.cgbse.nic.in** पर उपलब्ध प्रतिपर्ण के माध्यम से कर सकते हैं ।

21. राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित माह अगस्त – सितंबर की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कक्षा 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को कक्षा 11वीं में अस्थायी रूप से प्रवेश दिया जा सकेगा । अस्थायी प्रवेश दिये गये छात्र/छात्राओं की जानकारी जिले के संभागीय कार्यालय/ मुख्यालय स्थित परीक्षा कक्ष में दिनांक 30/10/2025 तक सूची अनिवार्य रूप से जमा करें । तथा इनकी ग्राह्यता संबंधी कार्यवाही आगामी सत्र मे अनिवार्य रूप से करावें । ऐसे छात्र/छात्राओं का ग्राह्यता (नामांकन क्रमांक) विशेष विलंब शुल्क के साथ जारी किया जावेगा ।

22. शैक्षणिक सत्र 2024–25 में जिन संस्थाओं में प्रवेशित कक्षा 09वीं एवं अन्य बोर्ड से आये हुये छात्र/छात्राओं द्वारा नामांकन/ग्राह्यता माध्यमिक शिक्षा मण्डल से नहीं कराया गया है तो विशेष विलंब शुल्क के साथ ऐसे छात्र/छात्राओं के नामाकन/ग्राह्यता संबंधी कार्यवाही की जावेगी।

23. शैक्षणिक सत्र 2025–26 हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी नियमित के परीक्षा आवेदन पत्रों के साथ संलग्न दस्तावेज एवं कक्षा 9वीं, 10वीं एवं 12वीं के चेकलिस्ट मिलान करने संबंधी निर्देश ।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा संचालित हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी परीक्षा के परीक्षा फार्म एवं चेकलिस्ट को जिले के समन्वय केन्द्रों से एवं जिला रायपुर के मण्डल मुख्यालय (परीक्षा कक्ष) से वितरण किया जावेगा । परीक्षा फार्म एवं चेकलिस्ट का सही तरह से मिलान कर कक्षा 10वीं के परीक्षा फार्म के साथ कक्षा 08वीं एवं 9वीं तथा कक्षा 12वीं के परीक्षा फार्म के साथ कक्षा 10वीं, एवं 11वीं की अंकसूचियों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न कर अपने जिले से संबंधित संभागीय कार्यालय एवं रायपुर संभाग से संबंधित मण्डल मुख्यालय रायपुर स्थित परीक्षा कक्ष में जमा किया जावेगा । तिथि की सूचना समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं के पोर्टल में एवं **SMS** के माध्यम से दिया जावेगा ।

टीपः—

(1) **SC/ST** परीक्षार्थियों के सूची के साथ जाति प्रमाण/आय प्रमाण पत्र/नॉमिनल रोल/शुल्क विवरण तथा निरस्त फार्म को पृथक से लिफाफा तैयार किया जावें।

(2) जाति/विशेष पिछड़ी जाति/माध्यम का अच्छी तरह मिलान कर संबंधित दस्तावेज संलग्न कर जमा करें ।

(3) निर्धारित तिथि के पश्चात परीक्षा आवेदन फार्म मण्डल मुख्यालय रायपुर परीक्षा कक्ष मे विशेष विलम्ब शुल्क 1,540/— रूपये के साथ स्वीकार किये जायेगें ।

प्रवेश पत्र एवं चेकलिस्ट संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश

1. आपकी संस्था में उपलब्ध अभिलेख अनुसार छात्र/छात्राओ के नाम/पिता का नाम/माता का नाम/जन्मतिथि/माध्यम/विषय/वर्ग/लिंग/फोटो/नामांकन का मिलान कर चेकलिस्ट में संशोधन की कार्यवाही सुनिश्चित करें । कक्षा 9वीं, 10वीं, एवं 12वीं की प्राप्त चेकलिस्ट में किये गये संशोधन अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय मे जमा करेंगे । संशोधन नहीं होने पर लिखित मे जानकारी देवें । चेकलिस्ट में संशोधन न करने की दशा में परीक्षाफल घोषणा उपरांत जारी की गई छात्र/छात्राओ की अंकसूचियों संशोधन प्राप्त होने पर संशोधन की कार्यवाही नही की जावेगी । जिसका समस्त उत्तरदायित्व संस्था/संस्था प्रमुख/पालक की होगी ।
2. शैक्षणिक सत्र 2025–26 हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के आपके संस्था में उपलब्ध अभिलेख (दस्तावेज) अनुसार छात्र/छात्राओ का पूर्ण नाम/पिता का नाम /माता का नाम/उपनाम/जन्मतिथि/माध्यम/विषय/वर्ग/लिंग/फोटो/नामांकन /अध्ययनरत् संस्था का नाम का मिलान उपरान्त ही प्रवेश पत्र संबंधित परीक्षार्थियों को वितरित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें ।
3. जारी किये गये प्रवेश पत्र एवं कक्षा 09वीं, कक्षा 10वीं तथा 12वीं की संशोधित चेकलिस्ट में यदि कोई भी त्रुटि हो तो लाल स्याही से गोला बनाकर स्पष्ट अक्षरों **(CAPITEL)** में प्रवेश पत्र एवं चेकलिस्ट वितरण तिथि से 10 दिवस के भीतर संशोधन कर जिले के संबंधित संभागीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, बिलासपुर/अम्बिकापुर/जगदलपुर तथा राजनांदगांव तथा रायपुर संभाग का मण्डल मुख्यालय रायपुर से संशोधन हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं नामांकन कार्ड मुद्रित **(PRINT)** होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं किया जावेगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं छात्र/अभिभावक/संस्था/संस्था प्रमुख का होगा। कृपया इसे भलि – भांति अंकित कर लेवें ।
4. अपात्र परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र का वितरण कदापि न किया जावे तथा प्रवेश पत्र को निरस्त कर मण्डल मुख्यालय/जिले के संबंधित संभागीय कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करना सुनिश्चित करें ।
5. परीक्षा केन्द्र में माध्यम/विषय/फोटो संबंधी संशोधन मान्य नहीं किया जावेगा ।
6. त्रुटिपूर्ण प्रवेश पत्र पर संबंधित संस्था द्वारा संशोधन नहीं कराये जाने की दशा में परीक्षा परिणाम घोषणा पश्चात् जारी किये जाने वाली अंकसूचियों में किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं किया जावेगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं छात्र/अभिभावक/संस्था/संस्था प्रमुख का होगा । कृपया इसे भलि – भांति अंकित कर लेवें ।
7. पूर्व में आपको उपलब्ध कराये गये कक्षा 09वीं, कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं की चेकलिस्ट में आपके द्वारा किये गये संशोधन की कार्यवाही पूर्ण किया जा चुका है तथा संशोधित चेकलिस्ट की प्रति पुनः उपलब्ध कराई जा रही है । यदि कोई संशोधन करने से रह गया है तो चेकलिस्ट में संशोधन कर तत्काल जिले से संबंधित संभागीय कार्यालयों/रायपुर संभाग से संबंधित संशोधन मण्डल मुख्यालय, रायपुर स्थित परीक्षा कक्ष में जमा करें/करावें ।

समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्राचार्य/केन्द्राध्यक्षों हेतु आवश्यक निर्देश

1. प्रवेश पत्र जारी होने के पश्चात् परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश पत्र में अंकित विषय पर किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा, यदि किसी प्रकार से संशोधन कर परीक्षा में सम्मिलित कराये जाने दशा में मूल विषय में अनुपस्थित **(ABS)** दर्शाकर परीक्षाफल घोषित किया जावेगा।
2. संस्था प्राचार्य द्वारा इस आशय का घोषणा पत्र स्वयं भरकर आवंटित परीक्षा केन्द्राध्यक्ष को देना होगा, कि परीक्षार्थी का पूर्ण नाम/पिता का नाम/माता का नाम/उपनाम/जन्मतिथि/माध्यम/विषय/वर्ग/लिंग/फोटो/नामांकन/अध्ययनरत् संस्था का नाम मिलान उपरान्त ही प्रवेश पत्र संबंधित परीक्षार्थियों को वितरित किये गये है । संबंधित केन्द्राध्यक्ष प्राचार्य से उक्ताशय का घोषणा पत्र लेना सुनिश्चित करें ।
3. जारी हुये प्रवेश पत्र एवं उपस्थिति पत्रक पर परीक्षार्थी का फोटो मुद्रित **(Print)** न होने अथवा त्रुटिपूर्ण फोटो अंकित होने की दशा में इसे तत्काल आपके जिले से संबंधित संभागीय कार्यालय तथा रायपुर संभाग के जिलों से संबंधित मण्डल मुख्यालय, रायपुर से सम्पर्क स्थापित कर अनिवार्य रूप से फोटो संशोधन कराना सुनिश्चित करें ।
4. प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अध्ययनरत् संस्था द्वारा संशोधन नहीं कराये जाने की दशा में समस्त उत्तरदायित्व स्वयं छात्र/अभिभावक/संस्था प्रमुख का होगा ।
5. परीक्षार्थियों को लेखक दिये जाने संबंधी मण्डल कार्यालय द्वारा जारी शैक्षणिक सत्र 2025–26 परीक्षा संचालन हेतु केन्द्राध्यक्षों/सहायक केन्द्राध्यक्षों के लिये महत्वपूर्ण निर्देश पुस्तिका में दिये गये निर्देशानुसार स्वयंस्तर पर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ।
6. नकल प्रकरण (अनुचित साधन) की मुख्य उत्तरपुस्तिका एवं पृथक से वितरित द्वितीय मुख्य उत्तरपुस्तिकाओं का लिफाफा पृथक से तैयार कर जिले से संबंधित संभागीय कार्यालयों में एवं रायपुर संभाग के अन्तर्गत आने वाले जिले का मण्डल मुख्यालय (परीक्षा कक्ष) रायपुर में जमा करना सुनिश्चित करें ।
7. मूल्यांकन केन्द्रों को नकल प्रकरणों (अनुचित साधन) की उत्तरपुस्तिकाऐं कदापि न भेजा जाये।
8. परीक्षा केन्द्र पर अनुपस्थित **(ABS)** एवं नकल प्रकरणों (अनुचित साधन) की जानकारी मण्डल **Online Portal** में प्रविष्टी करना अनिवार्य होगा ।
9. परीक्षा केन्द्र पर विषय से संबंधित शिक्षकों को पर्यवेक्षक न बनाया जाये । परीक्षा केन्द्रों के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान विषय से संबंधित शिक्षकों को पर्यवेक्षक ड्यूटी पर लगाया जाना पाया जाता है तो उस स्थिति में केन्द्र और केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष/पर्यवेक्षकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक/दण्डात्मक कार्यवाही प्रस्तावित किया जावेगा ।
10. परीक्षा केन्द्र में परीक्षार्थी द्वारा मुख्य उत्तरपुस्तिका/पूरक उत्तरपुस्तिका में अनुक्रमांक (अंकों/शब्दों में) तथा विषय तथा विषय कोड सही अंकित किया गया है या नहीं तथा उपस्थिति पत्रक में मुख्य उत्तरपुस्तिका/पूरक उत्तरपुस्तिका का सरल क्रमांक सहीं अंकित किया गया है या नहीं इसका पर्यवेक्षक द्वारा इसका विशेष ध्यान रखा जाना अनिवार्य होगा ।

11. उत्तरपुस्तिका पर परीक्षार्थी द्वारां त्रुटिपूर्ण अनुक्रमांक एवं विषय अंकित किया जाता है तो इस दशा में परीक्षार्थी का परीक्षाफल घोषित नहीं किया जावेगा, साथ ही संबंधित पर्यवेक्षक के विरूद्ध अनुशासनात्मक/दण्डात्मक कार्यवाही प्रस्तावित किया जावेगा ।

12. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् उपस्थिति पत्रक जिले से संबंधित समन्वय केन्द्र/संभागीय कार्यालय तथा बोर्ड परीक्षाओ की चेकलिस्ट मण्डल मुख्यालय, रायपुर स्थित डाटा कक्ष में जमा करना अनिवार्य होगा ।

नोटः- उपरोक्त निर्देशों का समस्त संस्था प्राचार्य/परीक्षा केन्द्राध्यक्ष/उप केन्द्राध्यक्ष द्वारा अपने अधीनस्थ स्टॉफ को भली-भांति अंकित करायें ।

परीक्षा सत्र 2025–26 हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी परीक्षा नियमित/स्वाध्यायी परीक्षा के अपात्र परीक्षार्थियों की सूची भिजवाने बाबत् ।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा आयोजित परीक्षा वर्ष 2026 हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी नियमित/स्वाध्यायी के अपात्र परीक्षार्थियों की संस्था प्राचार्य से प्रमाणित सूची दिनांक 31.12.2025 तक अनिवार्य रूप से मण्डल मुख्यालय, रायपुर के डाटा कक्ष के e-mail id - data.cgbse@gmail.com पर निम्नानुसार प्रारूप में भेजना सुनिश्चित करें :–

क्र	संस्था कोड	अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पिता का नाम
1	2	3	4	5

जिन संस्थाओं द्वारा अपात्र परीक्षार्थियों की सूची मण्डल कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई जाती है व मण्डल वेबसाइट पर अपात्र छात्र का प्रवेश पत्र जारी होकर परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हो जाता है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व संस्था प्राचार्य का होगा । इसे भलीभांति अंकित कर लेवें।

विशेष :–

1. मण्डल की मान्यता प्राप्त शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त समस्त विद्यालयों में मण्डल पाठ्यक्रम, अध्यापन योजना/परीक्षा योजना/प्रवेश एवं परीक्षा संबंधी मार्गदर्शिका का परिपालन अनिवार्य है ।

10/6/25

श्रीमती पुष्पा साहू (I.A.S.)
सचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
रायपुर

पृष्ठांकन क्रमांक/ /समन्वय/विद्यो./2025–26 रायपुर दिनांक : / /2025

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
2. विशेष सहायक, मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर,
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
4. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
5. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
6. समस्त संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, स्कूल शिक्षा विभाग (रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर)
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (छ. ग.) अपने जिले के अधीनस्थ मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्राचार्य को निर्देशित करने हेतु प्रेषित ।
8. समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी/सहायक सचिव, छ0 ग0 मा0 शि0 मं0, रायपुर
9. समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्राचार्य की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
10. समस्त संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल (रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर)
11. प्रोग्रामर, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को मण्डल की website में Upload करने हेतु प्रेषित ।
12. आदेश फोल्डर ।

10/6/25

सचिव

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

रायपुर

विषय कोड लिस्ट

हाई स्कूल परीक्षा

विषय कोड	विषय का नाम
भाषा	
070	HINDI
071	MARATHI
072	URDU
073	PUNJABI
074	SINDHI
075	BENGALI
076	GUJRATI
077	TELUGU
078	TAMIL
079	MALAYALAM
080	ENGLISH
081	KANNAD
082	ORIYA
090	SANSKRIT

विषय कोड	विषय का नाम
अनिवार्य विषय	
100	MATHEMATICS
200	SCIENCE
300	SOCIAL SCIENCE

अंध मूक बधिर हेतु	
161	MUSIC
162	DRAWING

विषय कोड	विषय का नाम
व्यावसायिक विषय	
901	ORGANIZED RETAILING
902	INFORMATION TECHNOLOGY
903	AUTOMOBILE SERVICE TECHNICIAN
904	HEALTH CARE
905	AGRICULTURE
906	MEDIA AND ENTERTAINMENT
907	TELECOMUNICATION
908	BANKING FINANCIAL SERVICES AND INSURANCE(BFSI)
909	BEAUTY AND WELLNESS
910	ELECTRONICS AND HARDWARE
911	APPARELS- MADE UPS AND HOME FURNISHING
912	CONSTRUCTION
913	PLUMBING
914	POWER
915	TOURISM & HOSPITALITY

विषय कोड लिस्ट

हायर सेकण्डरी परीक्षा

विषय कोड	विषय का नाम
	भाषा
010	HINDI
020	ENGLISH
030	SANSKRIT
031	MARATHI
032	URDU
033	PUNJABI
034	SINDHI
035	BENGALI
036	GUJRATI
037	TELUGU
038	TAMIL
039	MALAYALAM
041	KANNAD
042	ORIYA
098	ENVIRONMENT EDUCATION
	अतिरिक्त विषय
803	BIOLOGY (ADDITIONAL)
804	MATHEMATICS (ADDITIONAL)
810	HINDI (ADDITIONAL)
820	ENGLISH (ADDITIONAL)
830	SANSKRIT (ADDITIONAL)
869	BUSINESS MATHS (ADDL)
	ललित कला संकाय
510	DRAWING & PAINTING
520	STILL LIFE & DESIGN
530	HIST. OF INDIAN ART

विषय कोड	विषय का नाम
	कला संकाय
101	HISTORY
102	GEOGRAPHY
103	POLITICAL SCIENCE
104	SOCIOLOGY
105	PSYCHOLOGY
151	COMPUTER APPLICATION
161	INDIAN MUSIC
162	DRAWING & DESIGNING
163	DANCING
164	STENO TYPING
165	AGRICULTURE
168	HSC ANATOMY PHY&HYGN
169	BUSINESS MATHS
204	MATHEMATICS
303	ECONOMICS
030	SANSKRIT

	गृह विज्ञान संकाय
610	FOOD & NUTRI.
620	PHYSIO & FIRST AID
631	ELEMENTS OF SCIENCE
	कृषि संकाय
410	ELE OF SC & MATHS AG
420	CROP.PROD. & HORTI.
430	ELE.OF ANI.HUS.POULT

विषय कोड	विषय का नाम
	विज्ञान संकाय
201	PHYSICS
202	CHEMISTRY
203	BIOLOGY
204	MATHEMATICS
	वाणिज्य संकाय
301	ACCOUNTANCY
302	BUSINESS STUDIES
303	ECONOMICS
332	INDUST. ORGANISATION
164	STENO TYPING
169	BUSINESS MATHS
204	MATHEMATICS
151	COMPUTER APPLICATION

	व्यावसायिक विषय
951	RETAIL MARKETING MANAGEMENT
952	INFORMATION TECHNOLOGY
953	AUTOMOBILE SERVICE TECHNICIAN
954	HEALTH CARE
955	AGRICULTURE
956	MEDIA AND ENTERTAINMENT
957	TELECOMMUNICATION
958	BANKING FINANCIAL SERVICES AND INSURANCE(BFSI)
959	BEAUTY AND WELLNESS
960	ELECTRONICS AND HARDWARE

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल

पेंशन बाड़ा, रायपुर, छत्तीसगढ़

क्रमांक / 2789 / प.स. / 2021 रायपुर ,दिनांक 28/12 / 2021

::आदेश::

मण्डल की कार्यपालिका एवं वित्त समिति की संयुक्त बैठक दिनांक 07 / 12 / 2021 के विषय क्रमांक 16(6) में लिए गये निर्णय अनुसार परीक्षा मद में निम्नानुसार शुल्क में वृद्धि की जाती है:–

स.क्र	नियमित / स्वाध्यायी परीक्षा शुल्क का विवरण	वर्तमान में निर्धारित शुल्क	शिक्षा सत्र 2022–23 से वृद्धि उपरांत लागू शुल्क
1.	नियमित परीक्षा शुल्क हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी	200 / –	280 / –
2.	अंकसूची शुल्क	70 / –	100 / –
3.	प्रायोगिक प्रति विषय	60 / –	80 / –
4.	आवेदन पत्र शुल्क नियमित / स्वाध्यायी	60 / –	80 / –
5.	अतिरिक्त विषय	80 / –	110 / –
6.	स्वाध्यायी (संपूर्ण विषय) हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी	880 / –	1230 / –
7.	स्वाध्यायी एक विषय	200 / –	280 / –
8.	स्वाध्यायी दो विषय	240 / –	340 / –
9.	स्वाध्यायी छत्तीसगढ़ राज्य से वाहर के छात्रों के लिए पंजीयन एवं अनुमति शुल्क सहित	1100 / –	1540 / –
10.	स्वाध्यायी छत्तीसगढ़ राज्य के नवीन छात्रों के लिए पंजीयन एवं अनुमति शुल्क सहित	1100 / –	1540 / –
11.	स्वाध्यायी छत्तीसगढ़ राज्य के एस.सी. / एस.टी. छात्रों के लिए पंजीयन एवं अनुमति शुल्क सहित	400 / –	560 / –
12.	आवेदन पत्र शुल्क नियमित / स्वाध्यायी	60 / –	80 / –
13.	एक विषय (पूरक परीक्षा)	200 / –	280 / –
14.	दो विषय (पूरक परीक्षा)	240 / –	340 / –
15.	दो से अधिक विषय क्रेडिट योजना (पूरक परीक्षा)	460 / –	640 / –
16.	नामांकन शुल्क	60 / –	80 / –
17.	ग्राहयता शुल्क	220 / –	310 / –
18.	परीक्षा केन्द्र परिवर्तन	170 / –	240 / –
19.	विषय माध्यम / संकाय परिवर्तन प्रति विषय	140 / –	200 / –
20.	प्रवेश पत्र द्वितीय प्रति	60 / –	80 / –
21.	स्वाध्यायी के छात्रों हेतु अग्रेषण संस्थाओं को देय शुल्क	40 / –	60 / –
22.	विलम्व शुल्क स्वाध्यायी	550 / –	770 / –
23.	विशेष विलम्ब शुल्क	1100 / –	1540 / –
24.	नियमित आवेदन पत्र निर्धारित समय में जमा नहीं करने पर प्रति परीक्षा 31 दिसबंर तक	1100 / –	1540 / –
25.	डी.एड.परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय वर्ष	280 / –	390 / –
26.	नामांकन शुल्क	110 / –	150 / –
27.	ग्राहयता शुल्क	220 / –	310 / –
28.	प्रायोगिक शुल्क प्रति विषय	70 / –	100 / –

मण्डल में पूर्व में प्रचलित मदों में से जिस मद के शुल्क की वृद्धि नहीं की गई है, उन मदो की शुल्क पूर्व की भांति यथावत रहेगी। उपरोक्त वृद्धित दरें शिक्षा सत्र 2022–23 से आगामी आदेश तक के लिए लागू रहेगी।

सचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल
रायपुर

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पास, पेंशन बाड़ा, रायपुर (छ.ग.)
Phone No. 0771-2422425, FAX – 0771-2429385 ; website: www.cgbse.nic.in; email: secycgbse@gmail.com

क्र./ 331 / डाटा /2025 रायपुर, दिनांक 07.05.25

संशोधित आदेश

मण्डल की समस्त परीक्षाओं के परीक्षा संबंधी ऑनलाईन कार्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं/अग्रेषण संस्थाओं के माध्यम से सम्पन्न किये जाते है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

1. नियमित छात्रों के प्रवेश उपरांत प्रवेशित छात्रों की प्रविष्टि।
2. प्रवेशित छात्रों की प्रविष्टि उपरांत आवश्यक दस्तावेज एवं फोटो/हस्ताक्षर अपलोडिंग एवं निर्धारित शुल्क का भुगतान।
3. स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाईन प्रविष्ट करना तथा आवश्यक दस्तावेज एवं फोटो/हस्ताक्षर अपलोडिंग एवं निर्धारित शुल्क का भुगतान।
4. नियमित परीक्षार्थियों के प्रायोजना कार्य/प्रायोगिक परीक्षा/पर्यावरण प्रायोजना के अंक अपलोड करना।
5. परीक्षा के दौरान स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के प्रायोजना कार्य/प्रायोगिक परीक्षा/पर्यावरण प्रायोजना के अंक अपलोड करना।
6. पूरक परीक्षा के परीक्षा आवेदन की ऑनलाईन प्रविष्टि एवं निर्धारित शुल्क का भुगतान।
7. अन्य किसी प्रकार की ऑनलाईन प्रविष्टि संबंधी कार्य।

प्रत्येक वर्ष उक्त कार्यो के लिये मण्डल कार्यालय द्वारा समय-सीमा निर्धारित की जाती है। इसके बावजूद कुछ संस्थाओं द्वारा निर्धारित समय में प्रविष्टि पूर्ण नही की जाती है। निर्धारित तिथि में जो शालायें प्रविष्टि नही कर पाते है और पोर्टल पुनः प्रारंभ करवाना चाहते हैं, ऐसे शालाओं हेतु मण्डल की कार्यपालिका एवं वित्त समिति की बैठक दिनांक 27-09-2023 के विषय क्रमांक 9 में लिए गए निर्णय अनुसार निर्धारित तिथि के पश्चात् पोर्टल खोलने हेतु रु. 1000/- (एक हजार) प्रति दिवस की दर से विलम्ब शुल्क ऑनलाईन भुगतान करने पर संबंधित शाला का पोर्टल दो दिवस के लिये पुनः प्रारंभ करने के संबंध में पूर्व में जारी आदेश क्रमांक/1798/डाटा/2023, रायपुर, दिनांक 13-10-2023 पर मण्डल की साधारण सभा की बैठक दिनांक 23-12-2024 के विषय क्रमांक 4 में लिए गये निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए कार्यपालिका समिति की बैठक दिनांक 26-03-2025 के विषय क्रमांक 11 में निम्नानुसार संशोधन करने का निर्णय लिया गया है :-

"समिति द्वारा विचारोपरांत साधारण सभा की बैठक दिनांक 23-12-2024 में लिए गए निर्णय में ऑनलाइन पोर्टल में प्रविष्टि हेतु विलम्ब शुल्क के साथ 15 दिवस की समय सीमा निर्धारित की गई थी, जिसे पुनः विचार करते हुए निर्धारित समय सीमा के पश्चात् विलम्ब शुल्क के साथ पोर्टल 01 माह तक खोलने का निर्णय लिया गया। इसके लिए संस्थाओं को अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, विलम्ब शुल्क जमा करने के पश्चात् ऑनलाइन प्रविष्टि की जा सकेगी। 01 माह पश्चात् किसी भी स्थिति में पोर्टल ओपन नहीं किया जावेगा।"

पोर्टल पुनः प्रारंभ करवाने हेतु विलम्ब शुल्क किसी भी परिस्थिति में छात्र/छात्रा से वसूल नहीं किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

7/5/25

(श्रीमती पुष्पा साहू)IAS
सचिव
छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल
रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्र. /डाटा/2025 रायपुर, दिनॉक ....

प्रतिलिपिः

1. अध्यक्ष/सचिव के निज सचिव, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. समस्त संभागीय अधिकारी/समस्त सहायक सचिव/सहायक प्राध्यापक (विद्योचित)/कक्ष अधिकारी, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त प्राचार्य, मान्यता प्राप्त शालायें/डीएलएड संस्थायें की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

सचिव
छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल
रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

Phone No. 0771- 2437309& Fax No. : 0771-2429385

पत्र क्रमांक/ 105 /विद्यो0/2023 रायपुर, दिनांक 25/07/2023

:: आदेश ::

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की मान्यता प्राप्त चयनित शालाओं में हायर सेकण्डरी अध्ययन के साथ–साथ रोजगार उपलब्ध कराने की शासन की महत्वाकांक्षी योजनान्तर्गत आई0टी0आई0 के चयनित ट्रेड में संयुक्त अध्ययन योजना लागू है।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर की कार्यपालिका एवं वित्त समिति की संयुक्त बैठक दिनांक 04.07.2023 मे लिये गये निर्णय अनुसार शैक्षणिक सत्र 2023–24 से उपरोक्त योजना के अन्तर्गत अध्ययनरत विद्यार्थी को कक्षा 11वीं एवं 12वीं में पाँचो अनिवार्य विषय (चयनित संकाय अंतर्गत) का अध्ययन 100% पाठ्यक्रम से करना होगा तथा छठवें अनिवार्य विषय के रूप में आई0टी0आई0 के 01 ट्रेड का अध्ययन करेगा।

विद्यार्थी कक्षा 12वीं में समस्त पाँचो विषयों में उत्तीर्ण होता है तो हायर सेकण्डरी उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा तथा आई0टी0आई0 ट्रेड में उत्तीर्ण होता है तो आई0टी0आई0 द्वारा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा और दोनों में उत्तीर्ण होता है तो दोनों संस्थाओं द्वारा अलग–अलग उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

पाठ्यक्रम मण्डल की वेबसाईट www.cgbsc.nic.in पर उपलब्ध है।

25.7.23

(प्रोफेसर व्ही0 के0 गोयल)
सचिव
छ0 ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल
रायपुर

पृष्ठांकन क्रमांक/ 106 /विद्यो0/2023 रायपुर, दिनांक 25/07/2023

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी, छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सादर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, छ0 ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर,
3. अध्यक्ष/सचिव के निज सहायक छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर,
4. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर,
5. संचालक, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर,
6. समस्त जिलाधीश, छत्तीसगढ़,
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़,
8. उपसचिव, विद्योचित/स्थापना, प्रशासन, छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर,
9. उपसचिव/पंजीयक छ0ग0 राज्य ओपन स्कूल, रायपुर,
10. वित्ताधिकारी, छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर,
11. संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, बिलासपुर/अंबिकापुर/जगदलपुर एवं राजनांदगांव,
12. समस्त सहायक सचिव/लेखाधिकारी/कक्ष अधिकारी, समन्वय/भण्डार/वित्त/स्था0/गोपनीय/परीक्षा कक्ष, छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को सूचनार्थ।
13. समस्त सहायक प्राध्यापक विद्योचित, छ0ग0 मा0 शि0 मण्डल, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
14. आदेश फोल्डर।

25.7.23

सचिव
छ0 ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल
रायपुर

छत्तीसगढ़ माध्यमिकशिक्षामण्डल, रायपुर

पत्र क्र0/6010/विद्यो0/2022 रायपुर, दिनांक 15.12.2022

:: आदेश ::

छ.ग.माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हायर सेकण्डरी परीक्षा में नवीन व्यावसायिक विषय को मुख्य विषय के रूप में सम्मिलित किये जाने के संबंध में कार्यपालिका एवं वित्त समिति की बैठक दिनांक 22.11.2022 में विषय कमांक 17 में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। समिति ने यह निर्णय लिया कि कक्षा बारहवीं में भाषा के दो विषय में से एक भाषा के स्थान पर नवीन व्यावसायिक विषय लिया जा सकता है। इस प्रकार छात्र को दो भाषा में से एक भाषा में छूट दी जाती है।

छात्र द्वितीय भाषा को स्वेच्छा से अतिरिक्त विषय के रूप में लेकर परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। अतिरिक्त विषय के अंक परीक्षा परिणाम में नहीं जोड़े जायेंगें।

यह योजना छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षा 2023-24 से लागू होगी।

14/12/22

(प्रोफेसर व्ही. के. गोयल)
सचिव
छ0 ग0 माध्यमिकशिक्षामण्डल
रायपुर

पृ. क्रमांक/6011/विद्यो0/2022 रायपुर, दिनांक 15.12.2022

प्रतिलिपि:-

01. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, अटलनगर रायपुर।
02. अध्यक्ष/सचिवमहोदय के निजसचिव/सहायक छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर।
03. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावतीभवन, अटलनगर, रायपुर।
04. उप सचिवप्रशासनिक/विद्यो./प्रशा./पंजीयक छ0ग0मा0शि0म0 रायपुर।
05. संभागीय अधिकारी, छ0ग0 माध्यमिक शिक्षामण्डल, बिलासपुर/सरगुजा/ बस्तर एवं राजनांदगांव।
06. प्रोग्रामर, छ0ग0मा0शि0म0 रायपुर को मण्डल की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
07. आदेशफोल्डर

14/12/22

सचिव
छ0 ग0 माध्यमिकशिक्षामण्डल
रायपुर

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

Phone No. 0771. 2437309, Fax No .0771. 2429385

क्रमांक/ अधिसूचना/4061 /दिव्यांग परी.सुवि. /विद्यो./2022 रायपुर, दिनांक08.07.2022

//अधिसूचना//

भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग शास्त्री भवन नई दिल्ली का पत्र F.No.9-39/2021-IS.19 (IS. 18 Section) Dated the 19th April, 2022 एवं राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा, छ.ग. रायपुर के पत्र क्रमांक/179/SS /24/170/प्रारं–माध्य./ 2021–22 रायपुर दिनांक 21.04.2022 के परिपालन में लेख है कि 21 प्रकार की दिव्यांगता के आधार पर CWSN विद्यार्थियों को प्राप्त होने वाले मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा एवं संषोधन किये जाने संबंधी दिनांक 06.06.2022को छ0ग0मा0शि0मण्डल रायपुर की कार्यपालिका एवं वित्त समिति की संयुक्त बैठक में लिये गए निर्णयानुसार निम्नानुसार प्रावधान/छूट प्रदान किये जाने की अधिसूचना जारी की जाती है ।

क्र	दिव्यांगता का प्रकार	पूर्व में प्रावधान/छूट	शिक्षा सत्र 2022–23 से 40%से अधिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों हेतु प्रावधान/छूट
1.	दृष्टिबाधित, मूकबधिर, मानसिक रूप से दिव्यांग	नियमित्त विद्यार्थियों हेतु कक्षा 10वीं एवं 12वीं में आवेदन शुल्क को छोड़कर शेष संपूर्ण शुल्क पर छूट ।	21 प्रकार के दिव्यांगजन :–पूर्ण दृष्टिहीन, अल्प दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, मूक बाधित, मानसिक रूप से दिव्यांग (सेरेब्रल पॉल्सी), स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता, मानसिक बीमारी, अस्थिबाधित, बहु–विकलांगता, कुष्ठरोग, मल्टीपल स्केलोरोसिस, हीमोफिलिया, थैलेसिमिया, पार्किसन्स रोग, मांसपेशी दुर्विकास, बौनापन, सिकलसेल, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल, अधिगम निःशक्तता, तेजाब हमला पीड़ित । कक्षा 10वीं एवं 12वीं के नियमित एवं स्वाध्यायी परीक्षार्थियों को परीक्षा आवेदन शुल्क को छोड़कर शेष संपूर्ण शुल्क पर छूट दी जावेगी ।
2.	दृष्टि बाधित एवं मानसिक रूप से दिव्यांग	1:30 घण्टे का अतिरिक्त समय	पूर्ण दृष्टिहीन, अल्प दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, मूक बाधित,मानसिक रूप से दिव्यांग (सेरेब्रल पॉल्सी),स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता, मानसिक बीमारी, बहु–विकलांगता, मल्टीपल स्केलोरोसिस, मांसपेशी दुर्विकास एवं अस्थि बाधित जो हाथ से दिव्यांग हो अथवा हाथ की हड्डी टूट जाने या हाथ की खराबी के कारण लिखने में सक्षम न हो उन्हे 1:30घण्टे का अतिरिक्त समय दिया जावेगा ।
3.	दृष्टि बाधित	लेखक की व्यवस्था –एक कक्षा कम अध्ययनरत हो ।	लेखक की व्यवस्था–एक कक्षा कम अध्ययनरत हो ।
4.	अन्य 40%से अधिक दिव्यांगता वाले एवं हाथ की हड्डी टूट जाने अथवा हाथ की खराबी के कारण लिखने में सक्षम न हो ।	हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी/फिजिकल एजुकेशन/डिप्लोमा इन एजुकेशन, परीक्षा के लिए लेखक अधिकतम 9वीं में अध्ययनरत हो ।	हाईस्कूल/हायरसेकण्डरी/फिजिकल एजुकेशन/डिप्लोमा इन एजुकेशन, परीक्षा के लिए लेखक अधिकतम कक्षा 9वीं में अध्ययनरत हो।

5.	नेत्रहीन,मूक,बधिर एवं मानसिक रूप से दिव्यांग	हाईस्कूल में 03 भाषा के स्थान पर 02 भाषा एवं हायर सेकण्डरी में 02 भाषा के स्थान पर 01 भाषा देने का प्रावधान ।	पूर्ण दृष्टिहीन, अल्प दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, मूक बाधित,मानसिक रूप से दिव्यांग (सेरेब्रल पॉल्सी),स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता, मानसिक बीमारी, अस्थिबाधित, बहु–विकलांगता, मल्टीपल स्केलोरोसिस, मांसपेशी दुर्विकास– ऐसे दिव्यांगजनों को हाईस्कूल में 03 भाषा के स्थान पर 02 भाषा एवं हायर सेकण्डरी में 02 भाषा के स्थान पर 01 भाषा देने की सुविधा दी जावेगी ।
6.	नेत्रहीन,मूक,बधिर ,मूक–बधिर विद्यार्थी	गणित अथवा विज्ञान के स्थान पर आवश्यकता अनुसार संगीत अथवा चित्रकला ले सकते हैं	पूर्ण दृष्टिहीन, अल्प दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, मूक बाधित,मानसिक रूप से दिव्यांग (सेरेब्रल पॉल्सी),स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता, मानसिक बीमारी, बहु–विकलांगता, मल्टीपल स्केलोरोसिस, मांसपेशी दुर्विकास– ऐसे दिव्यांगजन गणित अथवा विज्ञान के स्थान पर आवश्यकता अनुसार संगीत अथवा चित्रकला ले सकेंगे ।
7.	दृष्टि बाधित व मूकबधिर	केवल हाईस्कूल परीक्षा में गणित विषय का प्रश्नपत्र अलग से तैयार किया जाता है ।	दृष्टि बाधित व मूक बधिर के लिए केवल हाईस्कूल परीक्षा में गणित विषय का प्रश्नपत्र अलग से तैयार किया जावेगा

सर्व संबधितों को अधिसूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार प्रावधान/छूट का पालन किया जावे ।

7/7/22
(प्रोफेसर व्ही. के. गोयल)
सचिव
छ0ग0माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
रायपुर

पृ.क्रं/ अधिसूचना/ /दिव्यांग परी.सुवि. /विद्यो./2022/4062/ रायपुर, दिनांक 8.07.2022

प्रतिलिपिः–

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के निज सचिव छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय,इन्द्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर,
3. सचिव, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग नई–दिल्ली,
4. संचालक, समाज कल्याण संचालानालय माना कैम्प रायपुर छत्तीसगढ़,
5. अध्यक्ष/सचिव महोदय के निज सचिव/सहायक छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर,
6. प्रबंध संचालक, राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर,
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ एवं सूचनार्थ,
8. समस्त सहायक सचिव/सहायक प्राध्यापकगण छ.ग.मा.शि.मं.रायपुर,
9. समस्त कक्ष अधिकारी छ.ग.मा.शि.मं.रायपुर,
10. समस्त संभागीय अधिकारी छ.ग.मा.शि.मं.बिलासपुर,अंबिकापुर,जगदलपुर,राजनांदगांव,
11. समस्त केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष छ.ग.मा.शि.मण्डल–छत्तीसगढ़,
12. प्रोग्रामर, डाटा कक्ष छ.ग.मा.शि.मं.रायपुर की ओर मण्डल की वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित् ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

7/7/22
सचिव
छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
रायपुर